

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 69/2020 (उदयपुर डिक्री)

भंवरलाल पिता श्री दोलतराम (मृतक) के बजाय :-

- 1/1. नारायणलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, आयु वयस्क
- 1/2. पन्नालाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, आयु वयस्क
- 1/3. रतनलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, आयु वयस्क
- 1/4. बाबूलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, आयु वयस्क
- 1/5. उदयलाल पिता श्री भंवरलाल गुर्जर, आयु वयस्क
- 1/6. श्रीमती भंवरीबाई पत्नी श्री धर्मनारायण गुर्जर, आयु वयस्क
- 1/7. कनक कुमार पिता श्री धर्मनारायण गुर्जर, आयु वयस्क
- 1/8. लाभचन्द पिता श्री धर्मनारायण गुर्जर, आयु वयस्क

समस्त निवासी देवाली, गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0-1955 विरुद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 14.10.2020 प्र.सं. 110/19
----/----

- उपस्थित (वक्तबहस)
1. श्री जगपालसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्तगण
 2. श्री रतनलाल गुर्जर अपीलान्तगण
 3. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
 4. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि. रेस्पों. सं. 2

-----:-----

निर्णय

दिनांक 15-02-2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्त ने एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजियात खेड़ा सवीना में स्थित हैं, जिसके साबिक आराजी नंबर 531, 545, 546, 547, 585 रकबा 37 बीघा है जिसकी जमाबन्दी संवत् 2023 प्रस्तुत है। उक्त आराजियात के हाल आराजी नंबर 1238 रकबा 0.4800 हैक्टर, 995 रकबा 0.2000 हैक्टर, 996 रकबा 1.6400 हैक्टर, 1005 रकबा 2.8700 हैक्टर, 1237 रकबा 3.8400 हैक्टर, 1239 रकबा 1.0900 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 10.1200 हैक्टर बने हैं, जिसकी जमाबन्दी संवत् 2047 से 2048 प्रस्तुत है। वादी का यह भूमि संवत् 2000 श्रावण विद 3 को तत्कालीन पूर्व जागीरदार ठिकाना सवीना सिध श्री

शिवपुरी गोस्वामी जी महाराज श्री सवाई महाराज गिर जी द्वारा जरिये पट्टे दी गयी, तब से वादी उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है तथा चारों ओर पत्थर की कोट बना रखी है एवं काफी मेहनत मजदूरी का भूमि को आबाद किया है। पट्टे की फोटो प्रति संलग्न है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त आराजियात वादी के नाम दर्ज नहीं की गयी तथा रेकार्ड में भूमि उसके रिहायशी आबादी के अलावा बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जो राजस्व कर्मचारियों की भारी भूल थी। वादी के विरुद्ध एडिशनल तहसीलदार गिर्वा द्वारा सन् 1969 में पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही प्रारम्भ की, जिसके मिसल संख्या 3603/1969 दिनांक 13-05-69 में वादी का कब्जा मानते हुए उक्त जमीन वादी के नाम नियमन हेतु नियमन कमेटी के सामने नियमन हेतु आदेश इस राय के साथ प्रदान किये कि इनसे रकम पेनाल्टी नहीं वसूल की जावे न भूमि से बेदखल ही किया जावे पटवारी इन्सपेक्टर को सूचित किया जावे कि यह भूमि नियमन की जा सकती है। एडिशनल तहसीलदार ने उक्त निर्णय में वादी का कब्जा सन् 1958 से निरन्तर माना है तथा भूमि का 50 बीघे का पट्टा होना भी दर्ज किया है। संवत् 2023 से वादी का राजस्व अभिलेखों में निरन्तर कब्जा दर्ज है, जिसकी फोटो काफी एवं जिन्सवारी प्रस्तुत है, जिसमें वादी की फसल भी अंकित है। उक्त भूमि पर वादी का वर्षों से कब्जा होने एवं उसका अधिकार होने के बावजूद भी वादी के नाम राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज नहीं की। वादी द्वारा कई बार मौखिक निवेदन किया गया किन्तु भूमि उसके नाम दर्ज नहीं की गयी। भू-प्रबन्ध के दौरान 1981-82 में भी भू-प्रबन्ध कर्मचारियों के समक्ष कई बार निवेदन किया गया, लेकिन वादी को यही जवाब मिलता रहा कि भूमि उसके खाते कर दी जावेगी, लेकिन उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की गयी एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज कर दी गयी, जो वादी के अधिकारों के विपरीत है।

उक्त आराजियात वादी को तत्कालीन जागीरदार ठिकाना सवीना द्वारा जरिये पट्टा नजराना अदा करने पर दी गयी एवं कब्जा दिया गया, तब से वादी उक्त आराजियात पर निरन्तर काबिज को उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी के शान्ति पूर्ण आधिपत्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें, न ही अन्य को हस्तान्तरित करें तथा दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण कब्जा प्राप्त कर लें तो कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व जागीरदार द्वारा पट्टा देने का कथन गलत है तथा ऐसे पट्टे का कोई महत्व ही नहीं है जब तक भूमि सुधार एवं रिजम्पशन जागीर एक्ट के तहत अन्दर अवधि में खुदकाशत व पट्टे का इन्द्राज कमिश्नर के यहां न करा लेवे। इस एक्ट के अनुसार भूमि बिलानाम होकर राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी तत्पश्चात् न्यास के नाम हस्तान्तरित हो चुकी है। राजस्व कर्मचारियों ने किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है।

जवाबदावे के विशेष कथन में यह भी निवेदन किया कि राज्य सरकार को धारा 80 एवं नगर विकास प्रन्यास को धारा 98 के तहत नोटिस नहीं दिये जाने से वाद चलने योग्य नहीं है। नगर विकास प्रन्यास ने ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना इस क्षेत्र में बना रखी है तथा अन्य भूमि भी अवाप्त कर ली है इससे वादी ने नगर विकास प्रन्यास में भी मुआवजे की दरखास्त लगाई है तथा नुमाईशी वाद भी प्रस्तुत किया है। अतः वादी का वाद वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 14-09-2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध वादी द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 94/2015 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26-02-2018 स्वीकार की जाकर पत्रावली नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की गयी। न्यायालय हाजा के निर्णय के विरुद्ध वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 28-05-2019 से अपील खारिज करते हुए न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश को उचित माना है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत बिन्दुवार विवेचन करने को उचित बताया है।

उपरोक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर दिनांक 14-10-2020 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्तगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02-11-2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 नगर विकास प्रन्यास की ओर से वकील श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त/वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 से 8 तक के गवाह प्रस्तुत किये तथा दस्तावेजी साक्ष्यों में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 37 तक प्रस्तुत किये, जबकि प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 1 पटवारी नरेश कुदाल के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए 1 व प्रदर्श ए 2 प्रस्तुत किये गये। माननीय आप न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26-02-2018 के पृष्ठ संख्या 8 में यह स्पष्ट फाईडिंग दी गयी है कि “दूसरा हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा उपरोक्त अपील मीमों में वर्णित अनुसार प्रकरण में अनेकानेक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार एडिशनल तहसीलदार का निर्णय जो वर्ष 1969 का है, में वादी/अपीलान्त के पट्टे को सही मानते हुए प्रकरण नियमन योग्य माना है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में पट्टे की मान्यता के लिए उच्चतम न्यायालय तक आबादी प्रकरण में उक्त पट्टे की मान्यता रही

है। साथ ही यह भी प्रकट आया है कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा विभागीय कार्यवाही विवरण में उक्त पट्टे को उचित होने बाबत विवेचन किया गया है। उक्त पट्टे को लेकर नगर विकास प्रन्यास एवं पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति होकर वादी/अपीलान्त को उक्त पट्टे के आधार पर आबादी भूमि के बदले भूखण्ड दिये गये हैं। इन समस्त परिस्थितियों में उक्त पट्टे को नजर अंदाज किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई आधार नहीं है।" माननीय राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि "अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26-02-2018 की पुष्टि की जाती है।" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर अंतिम अपीलीय न्यायालय है, जिसकी कोई अपील प्रतिवादी द्वारा नहीं किये जाने से निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है। अपीलान्त/वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23-01-2020 में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 26-02-2018 व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 28-05-2019 को विधि सम्मत माना है। इस प्रकार सुपिरियर कोर्ट की रिजनिंग एवं फाईडिंग सी.पी.सी. की धरा 105 (2) के प्रावधानों से प्रोटेक्टड है और अंतिमता प्राप्त कर ली है। यहां माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय C.V. Rajendran and anr. v/s N.M.Muhammed Kunhi Dt. 13.9.2020 Appeal Civil 5832 of 2002 में निम्नानुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :- "Sub section (2) of Section 105 of C.P.C. deals with an order of remand and provides that not with standing the provisions of sub-section (1). where any party aggrieved by an order of remand for which an appeal lies does not appeal thereform, he shall thereafter be precluded form disputing its correctness. Here what is shught to be re-agitated is not really the order of remand but the order deciding a germane issue which was allowed to become final at an earlier stage of the same suit. The principle of resjudicata applies as between two stages in the same litigation so that if an issue has been decided at an earlier stage against a party it cannto be allowed to be reagitated byhim at a subsequent stage in the same suit or proceedings."

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए निर्णय पारित किया है तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15, 88 व 188 में पत्रावली पर पेश शुदा साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है, न ही एक भी प्रदर्श का वर्णन दिया गया है, न ही गवाहों का वर्णन दिया गया है, जो तीनों सुपिरियर न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का स्पष्ट उलंघन है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 1-ए पट्टे को प्रमाणित नहीं माना है, जबकि पी.डब्ल्यू. 7 ने मौखिक बयानों के साथ मूल पट्टा प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने मटेरियल इरेगुलेटी एवं पेटेन्ट एरर आफ फैक्ट कारित की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श 3 का भी गलत अर्थ निकाला है, जबकि प्रदर्श 3 असल दस्तावेज होकर उसमें एडिशनल तहसीलदार ने वादी के पक्ष में पट्टा दिया जाना माना। पी.डब्ल्यू. 6 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने बयानों में बताया कि ठिकाना सवीना खेड़ा के पट्टा रजिस्टर के पेज नंबर 72 पर ए से बी स्थान पर इन्द्राज हैं एवं उस इन्द्राज को

न्यायालय की पत्रावली पर प्रदर्श 37-ए के रूप में अंकित कर रखा है तथा रेस्पोंडेन्ट की ओर से ऐसी कोई जिरह नहीं की गयी है, जिससे उक्त पट्टे पर अविश्वास किया जा सके, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पट्टे को नहीं मानकर वादी का वाद खारिज करने में भूल की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15-05-1992 को वादी के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए वादी की लोकस स्टैण्डाई राईट इन रेम भू-स्वामी के आधार पर मानकर राज्य सरकार द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण अधिसूचना को निरस्त किया है। अर्थात् वादी के पजेशन के राईट को प्रोटेक्ट किया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 15 में एक शर्त है कि काश्तकार के टीनेन्सी राईट भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के साथ-साथ भूमि पर पजेशन होने की शर्त पर अपीलान्ट/वादी पूरी करता है। वादी द्वारा कीमतन भूमि का पट्टा प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जिससे वादी उक्त आराजियात का खातेदार बन चुका है। प्रदर्श 14 आपसी समझौते में न्याय ने अपनी बैठक दिनांक 22-08-2008, जिसमें आई.ए.एस, आर.ए.एस. तहसीलदार, सहायक विधि परामर्शी सहित कुल 31 सदस्य उपस्थित थे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-05-1992 को वादी किसानों को आबादी भूमि के 60 प्रतिशत भूमि के आवासीय पट्टे देकर मुआवजा लागू किया है। न्याय का उक्त निर्णय सभी सदस्यों का एक सामूहिक निर्णय है, जिससे प्रमाणित होता है कि न्यास ने वादी के पट्टे एवं कब्जे को स्वीकार किया है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी को पट्टे पर आराजियात दी जाना एवं उनका कब्जा होना प्रमाणित है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में सेटलमेन्ट में आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि के मुआवजे की डिक्री प्रदान की जावे।

नगर विकास प्रन्यास के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि जमाबन्दी संवत् 1995 वर्ष 1939-40 में वादग्रस्त भूमि बिलानाम दर्ज है, जबकि पट्टा संवत् 2000 वर्ष 1944-45 का है। जमाबन्दी में भूमि बिलानाम काबिल काश्त अंकित है, जबकि पट्टे में पथरीली व कंकरीली अंकित है। पट्टे में खातेदार के रूप में पट्टाकर्ता का नाम अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि भूमि पट्टा देने से पूर्व ही बिलानाम अंकित थी एवं समय-समय हुए सेटलमेन्ट में भी यह भूमि बिलानाम ही अंकित रही है तथा वर्तमान में राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश दिनांक 15-04-1989 से भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने आप न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना में तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा प्रदर्श 1ए है, जिसके अनुसार तत्कालीन जागीरदार ठिकाना सिद्ध श्री शिवपुरी जी

गोस्वामी महाराज श्री सवाईगिरी जी महाराज द्वारा संवत् 2000 श्रावण विद 3 को वादी भंवरलाल को 50 बीघा भूमि का पट्टा दिया जाना प्रकट होता है। उक्त पट्टे में हालांकि आराजी नंबर का अंकन नहीं है, किन्तु भूमि के पड़ोस अंकित होकर 51/- रूपये नजराने पर उक्त पट्टा दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त पट्टे को मात्र फोटो प्रति होने के आधार पर प्रमाणित नहीं माना है, जबकि स्वयं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर प्रदर्श अंकित किया गया है एवं हमारे समक्ष वक्त बहस वकील अपीलान्ट द्वारा असल पट्टा दिखाकर उक्त पट्टे को प्रमाणित करवाया है एवं वादी की ओर से प्रस्तुत गवाहों से भी उक्त पट्टा वादी भंवरलाल को दिया जाना प्रमाणित होता है। वादी के स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू. 2 श्रीमती उदीबाई जिसकी आयु 98 वर्ष वक्त बयान अंकित है, ने अपने बयानों में पट्टा वादी भंवरलाल को तत्कालीन जागीरदार द्वारा दिया जाकर कब्जा सिपुर्द किया जाना एवं तब से निरन्तर भंवरलाल का एवं उनकी मृत्यु पश्चात् उनके पुत्रों अर्थात् हाल अपीलान्टगण का कब्जा होने का कथन किया है एवं प्रतिपरीक्षण में भी यही कथन दोहराये हैं। इसी प्रकार के बयान पी. डब्ल्यू. 3 केशुलाल भील, पी.डब्ल्यू. 4 बदा भील, पी.डब्ल्यू. 5 सुन्दर भील द्वारा दिये गये हैं, जिनका प्रति परीक्षण में खण्डन नहीं हुआ है। पी.डब्ल्यू. 6 चन्द्रसेन शेखावत जो सरकारी कर्मचारी होकर ठिकाना सवीना के पट्टा रजिस्टर में पेज नंबर 72 पर ए से बी इन्द्राज होने का कथन किया है। पी.डब्ल्यू. 8 सुरेन्द्र बाफना ने अपने बयानों में कथन किया है कि मेरे दादा जी जागीरदार ठिकाना सवीना खेड़ा में मुख्य कामदार की नौकरी पर थे एवं मेरे दादा के अधीन दो लेखक थे जो रोकड़ बही, पट्टे व अन्य लिखा-पढ़ी करते थे, जिस पर मेरे दादा द्वारा जांच कर हस्ताक्षर किये जाने थे। मैं उनके हस्ताक्षर एवं ठिकाने की मोहरों को पहचानता हूँ। प्रस्तुत पट्टा प्रदर्श 1 एवं रोकड़ बही प्रदर्श 2 पर ए से बी उनके हस्ताक्षर हैं। वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मौखिक बयानों का प्रति परीक्षण में खण्डन नहीं हुआ है, जिससे पट्टे में दर्शाये गये पड़ोस के अनुसार पट्टा वादी भंवरलाल के पक्ष में दिया जाकर कब्जा दिया जाना प्रमाणित है एवं उसके बाद निरन्तर वादी का कब्जा होना भी साबित होता है। द

अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ खसरा गिरदावरी संवत् 2010 से 2013 प्रस्तुत की है, जिससे भी विवादित आराजियात पर कब्जा अपीलान्ट/वादीगण का साबित होता है। प्रदर्श 2ए ठिकाने की रोकड़ बही में भी नजराने के 51/- रूपये जमा होने का अंकन है। प्रदर्श 3 एडिशनल तहसीलदार के निर्णय दिनांक 13-05-1969 में भी एडिशनल तहसीलदार ने उक्त पट्टे को सही मानते हुए वादी का कब्जा माना है एवं वादी से पेनाल्टी वसूल नहीं करने व भूमि से बेदखल नहीं करने का आदेश दिया है। प्रदर्श 13 नगर विकास प्रन्यास की बैठक दिनांक 22-08-2008 जिसमें आई.ए.एस, आर.ए.एस. तहसीलदार, सहायक विधि परामर्शी सहित कुल 31 सदस्य उपस्थित थे में पुराने पट्टे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निर्णय हुआ है। प्रदर्श 14 वादी एवं नगर विकास प्रन्यास के बीच आपसी समझौता हुआ है, जिसमें भी उक्त पट्टे को सही होना

माना है एवं कब्जा भी वादी/अपीलान्ट का होना मानकर ही वादी की भूमि के बदले व्यवसायिक विकसित भूमि दिये जाने की सहमति हुई है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15-05-1992 को वादी के पक्ष में निर्णय होने के आधार पर 60 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भी वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रभू बनाम रामदेव (एआईआर-1966 एस.सी.1721) से उक्त प्रकरण पर लागू होता तथा अन्य साक्ष्यों से भी वादी का वाद पूर्णतया साबित होता है। पट्टे की प्रमाणिकता के इतने सारे साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय पट्टे को साबित नहीं होना मानते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14-10-2020 अपास्त की जाती है तथा नगर विकास प्रन्यास व अपीलान्टगण के मध्य हुए आपसी समझौते के आधार पर आरक्षित 15 प्रतिशत कृषि भूमि का मुआवजा अपीलान्टगण के दिये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15-02-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासएम.एल. चौहान, आर.ए.एस.

भंवरलाल मृतक के बजाय नारायणलाल बनाम नगर विकास प्रन्यास उदयपुर
पिता भंवरलाल गुर्जर, निवासी देवाली, जरिये सचिव नगर विकास
गोवर्धन विलास, तहसील गिर्वा व अन्य उदयपुर व अन्य

अपील नं.....69/2020.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुखर्चे.....14.....माह.....10.....2020

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....15.....माह.....02.....सन् 2021 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी..श्रीजगपालसिंहचौहान/रतनलालगुर्जर..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्रीनरपतसिंहचुण्डावत

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14-10-2020 अपास्त की जाती है तथा नगर विकास प्रन्यास व अपीलान्टगण के मध्य हुए आपसी समझौते के आधार पर आरक्षित 15 प्रतिशत कृषि भूमि का मुआवजा अपीलान्टगण के दिये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हसब तफसील जेल तादादी मुवलिंग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15.....माह.....02.....2021
को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।